

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC II)/2019/145

दिनांक: 12.01.2019

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके (क.स. 1 पर वर्णित ठेके की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31-03-2020 तक, क.स. 12 पर वर्णित ठेके की अवधि दिनांक 01-04-2019 अथवा संविदा निष्पादन की तिथि जो भी बाद में हो से 31-03-2020 तक एवं क.स. 2 से 11 व 13 से 26 पर वर्णित ठेके की अवधि दिनांक 01-04-2019 अथवा संविदा निष्पादन की तिथि जो भी बाद में हो से 31-03-2021 तक रहेगी) ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर आमंत्रित की जाती है।

क्र.स.	ठेके का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	211	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील बाडमेर (सरनू व आकल को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	56100000	12.02.2019	13.02.2019	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	94	सहायक खनि अभियन्ता बारां	जिला बारां की तहसील छबडा, छीपाबडौद व अटरू की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन एवं सेण्डस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन व सैण्डस्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन व सेण्ड स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	4531300	12.02.2019	13.02.2019	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

3	30	खनि अभियन्ता भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील जहाजपुर की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	1514900	12.02.2019	13.02.2019	12.00 दोपहर से 02.00 पी. एम
4	107	खनि अभियन्ता जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाडा व पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	5321800	12.02.2019	13.02.2019	12.00 दोपहर से 02.00 पी. एम
5	33	खनि अभियन्ता चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील चित्तौड़गढ़ के क्वारी क्षेत्र मानपुरा में खनिज लाईमस्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (शिड्यूल-आ के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	आरसीसी	लाईमस्टोन	अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	13300000	12.02.2019	13.02.2019	02.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.
6	112	सहायक खनि अभियन्ता, चूरु	जिला चूरु की तहसील बीदासर में क्षेत्र बीदासर क्वारी बाउण्ड्री में खनिज सैण्ड स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंस से निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन, पट्टी कातला	आरसीसी	सैण्डस्टोन, पट्टी कातला	अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	3685900	12.02.2019	13.02.2019	02.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.
7	92	सहायक खनि अभियन्ता झालावाड	जिला झालावाड की राजस्व सीमा में खनिज सैण्ड स्टोन एवं मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-आ के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	ईआरसीसी	सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	8394300	12.02.2019	13.02.2019	02.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.

8	211	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील बाडमेर (सरनू व आकल को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	56100000	12.02.2019	13.02.2019	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
9	24	खनि अभियन्ता करौली	जिला करौली की तहसील हिण्डोन, नादौती व टोडाभीम की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	4329200	12.02.2019	13.02.2019	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
10	106	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर एवं जिला बाडमेर (सिवाना व समदड़ी तहसील को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	57943600	13.02.2019	14.02.2019	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
11	79	खनि अभियन्ता जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील जोधपुर की राजस्व सीमा में खनिज रायोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रायोलाईट	ईआरसीसी	रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	12604100	13.02.2019	14.02.2019	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
12	28	सहायक खनि अभियन्ता रूपवास	जिला भरतपुर की तहसील रूपवास व बयाना की राजस्व सीमा में खनिज सैण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	ईआरसीसी	सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	226044000	13.02.2019	14.02.2019	12.00 दोपहर से 02.00 पी.एम.

13	36	सहायक खनि अभियन्ता चुरु	जिला चुरु की तहसील सुजानगढ के क्षेत्र सारोठिया, जीली, परेवडा, चरला एवं तहसील बीदासर के क्षेत्र जैतासर, मानपुरा (छोटी घंटियाल) व बीदासर (क्वारी क्षेत्र को छोडकर) एवं जिला बीकानेर की तहसील श्रीडूंगरगढ के ग्राम बाडेला की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	22468400	13.02.2019	14.02.2019	12.00 दोपहर से 02.00 पी.एम
14	75	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	जिला जोधपुर की तहसील शेरगढ के ग्राम सेतरावा, थुम्बावली, खानोडी एवं लालपुरा की राजस्व सीमा में प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	1343100	13.02.2019	14.02.2019	02.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.
15	74	खनि अभियन्ता सोजत सिटी	जिला पाली की तहसील सुमेरपुर, बाली, देसूरी व रानी की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	13112800	13.02.2019	14.02.2019	02.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.
16	195	खनि अभियन्ता, करौली	जिला करौली की तहसील करौली, सपोटरा व जिला सवाईमाधोपुर की तहसील गंगापुर सिटी व वजीरपुर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता / आकार / माप)	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	12964600	13.02.2019	14.02.2019	02.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.

17	77	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	जिला जोधपुर की तहसील फलौदी, बाप एवं लोहावट की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल, रॉयोलाईट, मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल, रॉयोलाईट, मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मार्बल, रॉयोलाईट, मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	18881200	13.02.2019	14.02.2019	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
18	27	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास	जिला भरतपुर की तहसील वैर व भुसावर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-1 के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	144305000	13.02.2019	14.02.2019	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
19	71	खनि अभियन्ता सिरौही	जिला सिरौही की तहसील पिण्डवाडा, रेवदर एवं आबुरोड में खनिज मेसेनरी स्टोन एवं लाईम स्टोन (केशर) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन व लाईमस्टोन (केशर)	ईआरसीसी	मेसेनरीस्टोन एवं लाईम स्टोन (केशर)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	13326000	14.02.2019	15.02.2019	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
20	78	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	2889500	14.02.2019	15.02.2019	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
21	76	सहायक खनि अभियन्ता बालेसर	जिला जोधपुर की तहसील बालेसर के ग्राम केतू भालू की राजस्व सीमा में प्रभावशील क्वारी लाईसेंस से निर्गमित खनिज एवं ग्राम मेरिया में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी व ईआरसीसी	सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	13502800	14.02.2019	15.02.2019	12.00 दोपहर से 02.00 पी.एम.

22	37	सहायक खनि अभियन्ता चुरु	जिला चुरु की तहसील रतनगढ के क्षेत्र वीरमसर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	22205600	14.02.2019	15.02.2019	12.00 दोपहर से 02.00 पी.एम
23	23	खनि अभियन्ता करौली	जिला करौली की राजस्व सीमा में पड़ने वाले खनिज सेण्डस्टोन व मिलस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज सेण्ड स्टोन व मिलस्टोन (शिड्यूल-11 के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	ईआरसीसी	सेण्डस्टोन व मिलस्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	328091700	14.02.2019	15.02.2019	02.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.
24	35	खनि अभियन्ता बिजौलिया	जिला भीलवाडा की तहसील बिजौलिया व माण्डलगढ तथा जिला चित्तौडगढ की तहसील बेगू में खनिज सैण्डस्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन (शिड्यूल-11 के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप) एवं विभागीय तुलायंत्र से तुलाई शुल्क संग्रहण हेतु	आरसीसी	सैण्ड स्टोन,	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं तुलाई शुल्क	228267000	14.02.2019	15.02.2019	02.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.
25	26	खनि अभियन्ता भरतपुर	जिला भरतपुर की तहसील नगर व पहाडी की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-11 के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	555287300	14.02.2019	15.02.2019	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.

26	156	खनि अभियन्ता भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील माण्डल, करेडा, आसीद, बदनौर, रायपुर एवं भीलवाडा की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	173141100	14.02.2019	15.02.2019	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
----	-----	-------------------------	---	---------	----------	--------------------------------------	-----------	------------	------------	--------------------------------

अ बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 व ई-मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-1 का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

ब ई-नीलामी की प्रक्रिया


- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञापित में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।
- 2 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।
- 3 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

- 4 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 5 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 6 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा, जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे बोलीदाता को भेजी जावेगी। यदि उक्त विज्ञापित में वर्णित ठेकों के लिए एकल बिड (Single Bid) प्राप्त होगी तो उसे सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया जायेगा एवं उस ठेके की ई-ऑक्शन प्रक्रिया निरस्त की जायेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
 - i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टरेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज्ञापित तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
 - ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्टरेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।
 1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
- iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में बिल्डिंग संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिल्डिंग संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
- iv बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
- v बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
- vi आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- vii PAN card / TIN की प्रति।
- viii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
- ix ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
- ix विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (प्रस्तुत की गई बोली की क्लास अनुसार)

नोट :-

1 समस्त ठेकों में किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली में भाग लिया जा सकता है। परन्तु उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति तिथि के 15 दिन में विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र उच्चतम बोली अनुसार निर्धारित क्लास का प्रस्तुत करना होगा (न कि आरक्षित राशि के अनुसार)।

- यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में दरतावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा ।
- 2 रूपया 10 करोड से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्चों पर कम्प्यूटरसाईज तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद किभाग को सुपुर्द करना होगा ।
 - 3 ई-ऑक्शन हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 (समय-समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है ।
 - 4 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस.टी. सी. की वेबसाईट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।


(जे.के. उपाध्याय) P.A.S.


निदेशक

दिनांक: 2.01.2019

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC II)/2019/146-210

प्रतिलिपि :-

- 1- श्री उमेश चंद्र, Sr. Manager, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
 - 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
 - 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
 - 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-
- अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
- ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
- स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द-1/ II/आभेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।
- द -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर।


(ओ.पी. काबरा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)